लोक सुनवाई–कार्यवाही विवरण

मेसर्स शांति गोपाल कानकास्ट लि0, ग्राम–धौहां, तह0–चुनार, जनपद–मिर्जापुर द्वारा क्षमता विस्तार कर स्पंज आयरन 90,000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 2,40,000 टन/वर्ष, स्टील बिलेट (इण्डक्शन फर्नेश) 1,35,000 टन/वर्ष, रोलिंग प्रोडक्ट 1,20,000 टन/वर्ष तथा विद्युत उत्पादन 25 M.W. (16 M.W. W.H.R.B. तथा 9 M.W. A.F.B.C.) के उत्पादन हेतु इकाई की स्थापना से पूर्व तह0–चुनार के प्रांगण, जनपद–मिर्जापुर में दिनांक 13–06–2011 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न 'लोक सुनवाई' की कार्यवाही का विवरण।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना संख्या–S.O. 1533 दिनांक 14–09–2006 के प्राविधानों के अनुपालन में सदस्य–सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0–F84782/C-9/NOC/शांती गोपाल/2011 दिनांक 28–04–2011 के अनुक्रम में उपरोक्त उद्योग द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार 90,000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 2,40,000 टन/वर्ष, स्टील बिलेट (इण्डक्शन फर्नेश) 1,35,000 टन/वर्ष, रोलिंग प्रोडक्ट 1,20,000 टन/वर्ष तथा विद्युत उत्पादन 25 M.W. (16 M.W. W.H.R.B. तथा 9 M.W. A.F.B.C.) के उत्पादन हेतु परियोजना के स्थापनार्थ दिनांक 13–06–2011 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तह0–चुनार के प्रांगण जनपद–मिर्जापुर में 'लोक–सुनवाई' आयोजित की गयी। उपरोक्त 'लोक–सुनवाई' की आम सूचना राष्ट्रीय दैनिक समाचार–पत्र 'टाइम्स आफ इंडिया', नई दिल्ली दिनांक 11.05.2011 एवं स्थानीय दैनिक समाचार–पत्र 'अमर उजाला' में दिनांक 11.05.2011 को प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त समाचार–पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न की जा रही है (संलग्नक–01 एवं 02)।

'लोक–सुनवाई' की अध्यक्षता जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा नामित प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री एस0सी0 श्रीवास्तव द्वारा की गयी। 'लोक सुनवाई' में उपजिलाधिकारी तह0 चुनार, जनपद–मिर्जापुर श्री दयाशंकर पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी पुलिस श्री सीताराम, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र कालिका सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र श्री एस0के0 अवस्थी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र श्री पंकज यादव, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, श्री दीपक अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स शान्ती गोपाल कानकास्ट लि0, श्री श्याम धर सिंह, निदेशक, मेसर्स शान्ती गोपाल कानकास्ट लि0, एवं श्री रोहित श्रीवास्तव, निदेशक, मेसर्स शान्ती गोपाल कानकास्ट लि0 एवं श्री मनोज गर्ग, पर्यावरणीय परामर्शदाता, मेसर्स शिवा टेस्ट हाऊस लखनऊ एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जन–प्रतिनिधियों में प्रमुख रूप से श्री रमाशंकर सिंह एडवोकेट एवं अध्यक्ष जन समस्या निवारण समिति, चौकिया चुनार, श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी एडवोकेट अदलहाट, श्री रामकृष्ण भारती धौंहा, चुनार, श्री गजेन्द्र नारायण सिंह रैपुरिया, चुनार, श्री शीतला प्रसाद सिंह एडवोकेट ग्राम–भगवती देई, चुनार, श्री राजेन्द्र मिश्र पत्रकार, चुनार, श्री बसन्त लाल पत्रकार, श्री शीतला प्रसाद यादव एडवोकेट, श्री प्रदीप कुमार शुक्ला महासचिव, विन्ध्य

क्रमशः 2/पर.....

इन्वायरमेंटल सोसाइटी, चुनार, श्री चन्द्रभान सिंह, कृषक, ग्राम–धौहां, श्री बहादुर सिंह किसान ग्राम–जमहाँ, धौंहा, श्री अमृत लाल प्रधानपति ग्राम–बड़ागाँव चुनार, श्री श्रीराम पाल धौहाँ, चुनार, श्री रामसेवक पाण्डेय किसान ग्राम–धौहाँ आदि लोग उपस्थित थे। 'लोक–सुनवाई' की उपस्थिति का विवरण संलग्न है (संलग्नक–03)।

'लोक–सुनवाई' प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा सभी उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि मेसर्स शान्ती गोपाल कानकास्ट लि0, द्वारा अपने संचालनरत उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के अन्तर्गत स्पंज आयरन 90,000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 2,40,000 टन/वर्ष, स्टील बिलेट (इण्डक्शन फर्नेश) 1,35,000 टन/वर्ष, रोलिंग प्रोडक्ट 1,20,000 टन/वर्ष तथा विद्युत उत्पादन 25 M.W. (16 M.W. W.H.R.B. तथा 9 M.W. A.F.B.C.) के उत्पादन की इकाई की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रेषित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

मेसर्स शान्ती गोपाल कानकास्ट लि0 के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मनोज गर्ग, निदेशक, मेसर्स शिवा टेस्ट हाऊस, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम–धौहाँ, चुनार, जनपद–मिर्जापुर में संचालनरत इकाई का क्षमता विस्तार स्पंज आयरन 90,000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 2,40,000 टन/वर्ष, स्टील बिलेट (इण्डक्शन फर्नेश) 1,35,000 टन/वर्ष, रोलिंग प्रोडक्ट 1,20,000 टन/वर्ष तथा विद्युत उत्पादन 25 M.W. (16 M.W. W.H.R.B. तथा 9 M.W. A.F.B.C.) का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु बैग फिल्टर्स, वेट स्क्रबर एवं इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेट्र्स (ई0एस0पी0) की स्थापना की जायेगी। उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किया जायेगा तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह का पुनः उपयोग किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित जन–समुदाय से अनुरोध किया कि प्रस्तावित इंटीग्रेटेड स्टील प्लाण्ट एवं कैप्टिव थर्मल पावर प्लाण्ट के बारे में पर्यावरण से सम्बन्धित अपने सुझाव/टिप्पणी/आपत्ति सम्बन्धी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तथा सुझाव/आपत्ति को लिखित रूप में दे सकते हैं। तत्पश्चात् जन–सुनवाई के दौरान उपस्थित निम्नलिखित गणमान्य नागरिकों द्वारा अपने सुझाव/आपत्ति प्रकट किये गये।

1. श्री रामकृष्ण भारती, किसान, ग्राम–धौंहा, चुनार, मिर्जापुर द्वारा कहा गया कि वर्तमान में संचालित उद्योग से पूर्व में वायु प्रदूषण की गम्भीर समस्या थी तथा जबसे उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ई0एस0पी0 स्थापित किये गये हैं वायु प्रदूषण की मात्रा में काफी सुधार हुआ है। उद्योग की स्थापना से आस–पास की जनता को रोजगार उपलब्ध होगा तथा क्षेत्र का विकास होगा।

क्रमशः 3/पर...

2. **श्री गजेन्द्र नारायण सिंह, एडवोकेट, ग्राम–रैपुरिया, चुनार, मिर्जापुर** द्वारा कहा गया कि उद्योग से पूर्व में काफी मात्रा में फ्लाई ऐश उत्सर्जित होता था परन्तु जबसे ई0एस0पी0 की स्थापना की गयी है तब से वायु प्रदूषण की रोकथाम हुई है। उद्योग की स्थापना के उपरान्त आस–पास के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय। 1500 कि0ली0/दिन पानी का उपयोग करेंगे तो भू–जलस्तर नीचे चला जायेगा। यहाँ पर सबसे अधिक समस्या पानी की है। यहाँ पर कोई चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं है। उद्योग की तरफ से यह व्यवस्थायें होनी चाहिए।

3. **श्री शीतला प्रसाद सिंह, एडवोकेट, सदस्य–जनता दल (यू), भगौतीदेई, चुनार, मिर्जापुर–** उद्योग की उत्पादन क्षमता में तीन गुनी वृद्धि होने जा रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। वर्तमान में ग्राम–धौंहा एवं आस–पास के ग्रामों के निवासियों को पेयजल गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग द्वारा इतने अधिक पानी के उपयोग के लिए भू–गर्भ जल का उपयोग किये जाने के कारण वहाँ पर पेयजल की समस्या और भी गम्भीर हो जायेगी। कूँओं में पानी नहीं है। इनके द्वारा 1500 कि0ली0/दिन पानी का उपयोग किया जायेगा जिससे भू–जलस्तर नीचे चला जायेगा। जन–मानस प्रभावित होगा। जब तक पर्यावरण मानकों की पूर्ति न कर लें तब तक अनुमति न दी जाय।

4. **श्री राजेन्द्र मिश्र, पत्रकार, चुनार, मिर्जापुरः–** EIA अधिसूचना के अनुसार उद्योग की त्वरित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आख्या की प्रति उपजिलाधिकारी कार्यालय में समाचार–पत्र में प्रकाशन के उपरान्त 'लोक–सुनवाई' की तिथि से 30 दिन पूर्व से उपलब्ध नहीं की मात्र दो दिन पूर्व उक्त प्रति प्राप्त हुई जिसके कारण कोई अभिमत/टीका–टिप्पणी, गहन अध्ययन न कर पाने के कारण किया जाना सम्भव नहीं है। चुनार क्षेत्र में पुरातात्विक/ऐतिहासिक स्मारकों पर पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव पड़ सकता है। उद्योग को क्षमता विस्तार की अनुमति न प्रदान की जाय। श्री मिश्र द्वारा लिखित आपत्ति–पत्र संलग्न किया जा रहा है।

5. **श्री शीतला प्रसाद यादव, एडवोकेट, चुनार, मिर्जापुरः–** द्वारा कहा गया कि 'लोक–सुनवाई' की आम सूचना की जानकारी उन्हें नहीं थी और न ही उद्योग द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया है। यहाँ आने पर 'लोक–सुनवाई' की जानकारी हुई इसलिए मैं उसमें भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाय और यहाँ पानी सूखने वाला नहीं है। अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना हो जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले एवं क्षेत्र का विकास हो।

6. **श्री सत्येन्द्र नाथ दूबे, एडवोकेट, अदलहाट, चुनार, मिर्जापुरः–** प्रदेश एवं देश के विकास के लिए उद्योगों की स्थापना आवश्यक है परन्तु पर्यावरण ह्रास के मूल्य पर नहीं। विकास के लिए उद्योगों की स्थापना के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी संतुलित रूप से किया जाय। पर्यावरण के मानकों की पूर्ति की दशा में उद्योगों की स्थापना/क्षमता विस्तार में कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमशः 4/पर...

7. **श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, महासचिव, विन्ध्य इन्वायरमेन्टल सोसाइटी, बरेवाँ, चुनार, मिर्जापुरः–** द्वारा कहा गया कि EIA अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 के अनुपालन में उद्योग की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या उपजिलाधिकारी चुनार के कार्यालय में 30 दिन पूर्व से नहीं उपलब्ध थी। 'लोक–सुनवाई' की तिथि के मात्र दो दिन पूर्व ही आख्या जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराई गई जिससे इतने कम समय में आख्या का अध्ययन कर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना सम्भव नहीं है। उद्योग द्वारा नियम की अनदेखी की गयी है। यह 'लोक–सुनवाई' निरस्त की जानी चाहिए। 5 साल पूर्व से ही यह उद्योग बैठाया गया था। मानकों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। परियोजना चल रही है तो इसका औचित्य नहीं है कि उसे एन0ओ0सी0 दी जाय। श्री शुक्ला द्वारा 'लोक–सुनवाई' के समय लिखित आपत्ति–पत्र दिया गया है जो संलग्न किया जा रहा है।

8. **श्री मुकेश चौबे, चुनार, मिर्जापुरः–** द्वारा कहा गया कि विरोध करना उचित नहीं है। उद्योगों एवं कल–कारखानों की स्थापना से क्षेत्र का विकास होगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे उनके परिवार का भरण–पोषण होगा।

9. **श्री सादिक अली, टेकऊर, चुनार, मिर्जापुरः–** द्वारा कहा गया कि उद्योग स्थापित होने से क्षेत्र का विकास होगा। उद्योग स्थापना से पर्यावरण भी प्रभावित होगा परन्तु पर्यावरण सुरक्षा के उपाय करते हुए उद्योगों की स्थापना आवश्यक है। भू–जलस्तर बनाये रखने के लिए उद्योग को कदम उठाने चाहिए जिससे आस–पास के ग्रामों के निवासियों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। स्वच्छ पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु वृक्षारोपण उपयोगी है।

10. **श्री चन्द्रभान सिंह, ग्राम–धौंहा, चुनार, मिर्जापुरः–** द्वारा कहा गया कि उद्योग द्वारा मानकों की प्राप्ति करते हुए उद्योग का क्षमता विस्तार/स्थापना उचित है। उद्योग से आस–पास के निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग द्वारा जनहित में निम्नलिखित कार्य किया जाना उचित होगाः–

(1) खाली भूमि पर वृक्षारोपण।
(2) ग्रामवासियों के लिए पीने के पानी को उपलब्ध कराया जाय।
(3) पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाय।
(4) ग्रामवासियों के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल स्थापित किया जाय।
(5) सड़क का निर्माण कराया जाय जिससे आवागमन सुगम हो और धूल से पर्यावरण प्रदूषित न हो।
(6) आस–पास के मानव कल्याण के अन्तर्गत बच्चों के विकास के लिए शिक्षा, खेलकूद के लिए स्टेडियम आदि का निर्माण कराकर जन–कल्याणकारी कार्य किये जायं।

उद्योग स्थापना से कोई आपत्ति नहीं है, इससे क्षेत्र का विकास होगा।

क्रमशः 5/पर...

11. **श्री प्यारे लाल यादव, एडवोकेट, चुनार, मिर्जापुरः–** द्वारा कहा गया कि फैक्ट्री लगाना कोई बुरी चीज नहीं है। हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। कल–कारखाने लगने से रोजी–रोजगार में वृद्धि होगी। फैक्ट्री लगे लेकिन मानकों को ध्यान में रखते हुए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाय जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

12. **श्री बहादुर सिंह, ग्राम–धौंहा, चुनार, मिर्जापुरः–** धौंहा ग्राम के निवासियों को 'लोक–सुनवाई' की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर मेरे एवं अन्य गाँव वालों द्वारा भाग लिया गया है। उद्योग दो साल पहले चलने पर काफी धुआँ और फ्लाई ऐश घरों में आती थी परन्तु जब से ई0एस0पी0 लगा लिया गया है काफी राहत मिली है। उद्योग की स्थापना से गाँव वालों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा परन्तु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की जाय अन्यथा गाँव वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि उद्योग द्वारा गाँव में पानी की सप्लाई की एक टंकी बनवाई गई थी परन्तु उसके टूट जाने से पीने के पानी की समस्या हो गयी है। उद्योग द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की गयी है परन्तु उसका पूरा लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा है।

13. **श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, अदलपुरा, चुनार, मिर्जापुरः–** धौंहा ग्राम के लोगों को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। पहाड़ों पर रोजगार के रूप में हाथ से गिट्टी तोड़ने का कार्य किया जाता है जिससे प्रदूषण ज्यादा होता है तथा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडता है। उद्योग की स्थापना क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है।

14. **डा0 शिवाजी सिंह, कुशमी, चुनार, मिर्जापुरः–** इनके द्वारा कहा गया कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना से विकास हुआ है। अतः यहाँ भी उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए जिससे विकास को गति मिले जिससे यहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और प्रतिभा पलायन न हो। कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर प्रदूषण न हो। अपनी–अपनी समस्या रखिए। समस्या का समाधान उद्योग द्वारा किया जाय तथा पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हुए जन–कल्याणकारी कार्य उद्योग द्वारा किये जायं।

15. **श्री अमृत लाल, प्रधानपति, बड़ागाँव, चुनार, मिर्जापुरः–** इनके द्वारा कहा गया कि उद्योग द्वारा ई0एस0पी0 स्थापना के उपरान्त प्रदूषण में काफी कमी आयी है। उद्योग द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जाती है। उद्योग स्थापना से हम लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए उद्योग की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया जाय।

क्रमशः 6/पर...

16. **श्री श्रीराम पाल, धौंहा, चुनार, मिर्जापुरः–** इनके द्वारा कहा गया कि दो साल से पहले तक जीना दूभर हो गया था। जब से उद्योग द्वारा ई0एस0पी0 लगाया गया है हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। उद्योग लगाने की अनुमति दी जाय।

17. **श्री सिद्धनाथ सिंह, सदस्य, जिला पंचायत, चुनार, मिर्जापुरः–** श्री सिंह द्वारा कहा गया कि ई0एस0पी0 लगा है जिससे काफी सुधार हुआ है। उद्योग अपना उत्पादन दिन में न कर रात में किया जाता है जिससे प्रदूषण रहता है। जब उच्चाधिकारी निरीक्षण करते हैं तो इन्हें जानकारी हो जाती है और ये अपना ई0एस0पी0 चालू कर देते हैं तथा उत्पादन की मात्रा घटा देते हैं जिससे प्रदूषण नहीं पाया जाता है। उद्योग को पर्यावरण नियमों के कड़ाई से अनुपालन की शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जा सकती है। यदि उद्योग द्वारा प्रदूषण फैलाया गया तो इसके विरूद्ध हम सारी जनता के साथ आन्दोलन के लिए तैयार रहेंगे। भू–गर्भ जल का कम दोहन किया जाय जिससे क्षेत्र में पानी का जलस्तर और नीचे न चला जाय और सभी जीव–जन्तु प्यासे न रहें।

18. **श्री केशव दूबे, सदस्य, भारतीय किसान संघ एवं जिलाध्यक्ष, पर्यावरण एवं जीवन बचाओ मोर्चा, चुनार, मिर्जापुरः–** इनके द्वारा कहा गया कि पर्यावरण की समस्या या जन–समस्या हो उसका निस्तारण उद्योग द्वारा किया जाय तथा पर्यावरण नियमों की अनदेखी न कर उनका सही रूप से पालन किया जाय।

19. **श्री चेत नारायण सिंह, ब्लाक प्रमुख, सीखड़, चुनार, मिर्जापुरः–** इनके द्वारा कहा गया कि उद्योगों की स्थापना से क्षेत्र का विकास होगा। ग्राम–धौंहा क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाय तथा जल के संरक्षण हेतु चेकडैमों का निर्माण कराया जाय, जिससे जलस्तर में सुधार हो सके। धौंहा क्षेत्र में पानी की काफी कमी रहती है इसलिए जल संरक्षण का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

20. **श्री रामसेवक पाण्डेय, ग्राम–धौंहा, चुनार, मिर्जापुरः–** इनके द्वारा कहा गया कि हमारे गाँव में पाँच साल से फैक्ट्री चल रही है जो जीना दुश्वार हो गया था पर अब दो साल पहले ई0एस0पी0 लग जाने से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। उद्योग द्वारा ग्रामवासियों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एक टंकी बनवाई गयी थी जो टूट गयी है तथा अब टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है। भू–जल का दोहन होने के कारण जलस्तर और भी नीचे जायेगा। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामवासियों के कल्याण के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था और मजबूत की जाय।

क्रमशः 7 / पर...

21. **श्री शिव कुमार ओझा, अध्यक्ष, प्रेस क्लब, चुनार, मिर्जापुरः–** इनके द्वारा कहा गया कि उद्योग की स्थापना से इस क्षेत्र का विकास होगा। लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उद्योग द्वारा पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा भू–जलस्तर बनाये रखना सुनिश्चित किया जाय।

22. **श्री रमाशंकर सिंह उर्फ राणा सिंह, एडवोकेट एवं प्रान्तीय अध्यक्ष, जन–समस्या निवारण समिति, चुनार, मिर्जापुरः–** इनके द्वारा कहा गया कि उद्योग द्वारा 1500 कि0ली0 भू–जल का दोहन किया जायेगा, जिससे भू–जलस्तर और नीचे जायेगा तथा आस–पास के निवासियों, जीव–जन्तुओं को पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी। उद्योग को क्षमता विस्तार की अनुमति प्रदान न की जाय। 'लोक–सुनवाई' की कोई जानकारी नहीं थी। तहसील आने पर 'लोक–सुनवाई' की जानकारी हुई। सरकार द्वारा 'लोक–सुनवाई' की प्रक्रिया अपनाने का कार्य सराहनीय है।

श्री मनोज गर्ग, तकनीकी पर्यावरणीय परामर्शदाता द्वारा विभिन्न नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया और विश्वास दिलाया गया कि मेसर्स शान्ती गोपाल कानकास्ट लि0 द्वारा 1500 कि0ली0 प्रतिदिन भू–गर्भ जल के उपयोग के लिए केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से अनुमति प्राप्त की गयी है तथा भू–गर्भ जल 600 से 800 फीट गहराई से प्राप्त किया जायेगा, जिससे पेयजल में जलस्तर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। उद्योग की स्थापना से ग्राम–धौंहा एवं तहसील चुनार की जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा उद्योग द्वारा जन–कल्याणकारी कार्य किये जायेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तावित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना की जायेगी जिससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड सके। पर्यावरण संरक्षण हेतु आस–पास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जायेगा। स्थानीय निवासियों को स्व–रोजगार हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

अन्त में **'लोक–सुनवाई'** के अध्यक्षीय सम्बोधन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री एस0सी0 श्रीवास्तव ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुकूल प्रदूषण के स्तर को यथा सम्भव निम्नतर रखने के सारे उपाय किये जाय। पर्यावरण असंतुलित न हो तथा उस पर कम से कम प्रभाव पड़े। पानी का दोहन तो होगा परन्तु अनुमति प्रदत्त सीमा के अन्दर ही रहेगी। यथा सम्भव जल का दोहन निम्नतर मात्रा में आवश्यकतानुसार किया जाय। इस उद्योग के स्थापना से चुनार का विकास अवश्य होगा। उपस्थित जनता की जन–भावनाओं का आदर करता हूँ। जनता में पर्यावरण के प्रति जन–जागरूकता बढ़ रही है तथा कोई भी उद्योग पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी कर संचालित नहीं हो सकता है।

उपरोक्त सुझावों, विचारों, टिप्पणियों एवं आपत्तियों के अतिरिक्त और कोई मुद्दा **'लोक–सुनवाई'** के दौरान नहीं उठाया गया।

क्रमशः 8/पर...

उपरोक्त मंतब्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मेसर्स शान्ती गोपाल कानकास्ट लि0, ग्राम–धौंहा, तहसील–चुनार, जनपद–मिर्जापुर द्वारा क्षमता विस्तार कर स्पंज आयरन 90,000 टन/वर्ष से बढ़ाकर 2,40,000 टन/वर्ष, स्टील बिलेट (इण्डक्शन फर्नेश) 1,35,000 टन/वर्ष, रोलिंग प्रोडक्ट 1,20,000 टन/वर्ष तथा विद्युत उत्पादन 25 M.W. (16 M.W. W.H.R.B. तथा 9 M.W. A.F.B.C.) के उत्पादन की इकाई की स्थापना के लिए नियमानुसार सशर्त पर्यावरणीय अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है।

15/6/11

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र (उ.प्र.)

15/6/11

(एस0सी0 श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मीरजापुर (उ.प्र.)

प्रतिहस्ताक्षरित

17/6/11

जिलाधिकारी, मीरजापुर

मे0 शान्ति गोपाल कॉनकास्ट लि0, ग्राम–धौंहा, तह0–चुनार, जनपद–मिर्जापुर में स्पंज आयरन 300टन प्रतिदिन से 800 टन प्रतिदिन, इन्डक्शन फर्नेश 1,35,000 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग प्रोडक्ट्स 1,20,000 टन प्रतिवर्ष तथा विद्युत उत्पादन 25 मेगावाट (16 मेगावाट डब्लूएच आरबी तथा 9 मेगावाट एएफबीसी) के उत्पादन हेतु स्थापना से पूर्व जनपद–मिर्जापुर के चुनार तहसील के प्रांगण में दिनांकः 13 जून, 2011 को "लोक सुनवाई" के दौरान उपस्थित अधिकारियों, पत्रकार वन्धु एवं गणमान्य नागरिक।

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
1.	श्री एस० सी० श्रीवास्तव	अपर जिलाधिकारी	[illegible]
2.	श्री दयाशंकर पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	
3.	श्री सीताराम	उप पुलिस अधीक्षक	
4.	ई० कालिका सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र	[illegible] 13/6/11
5.	श्री आर० एन० श्रीवास्तव	निदेशक, शांति गोपाल कान-कास्ट लि०	R Narain
6.	S. K. Awasthi	AO, UPPCB	[illegible]
7.	Pankaj Yadav	AEE, UPPCB	[illegible]
8.	Chandra Shekhar	JE, UPPCB	[illegible]
9.	Shyam Dhar [illegible]	Director	[illegible]
10.	K. K. Maurya S.	[illegible] UPPCB Sonebhadra	[illegible]
11.	B. B. Mishra	S. A. UPPCB	BBmishra
12.	Rajesh Ku Singh		Rajesh
13.	Pradeep Kr. Vishwakarma	ASO UPPCB Sonebhadra	[illegible]
14.	Rajendra Singh.		R Singh
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	B Chaubey	DEO UPPCB	[illegible]
19.	Vinay Kumar	Chunar	[illegible]
20.	Anand Shankar Pandey	Dhanwaha	[illegible]
21.	प्रदीप कुमार शुक्ला	महासचिव विन्ध्य उत्थान [illegible] संस्था चुनार	प्रदीप कुमार शुक्ला

क्रमशः 2/पर....

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
22.	राजेन्द्र [illegible]	पत्रकार	[illegible]
23.	बसन्त लाल श्रीवास्तव	पत्रकार	[illegible]
24.	[illegible]	सामाजिक कार्यकर्ता	[illegible]
25.	Vishnu Singh		Singh
26.	Indrabahadur Singh		[illegible]
27.	Sajid Ali	कार्यकर्ता	Ali
28.			[illegible]
29.	ब्रह्मानन्द त्रिपाठी		
30.	Ganga Singh	सामाजिक कार्यकर्ता	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32.	श्यामसुन्दर त्रिवेदी	किसान	[illegible]
33.	रामचेला भारद्वाज	किसान	रामचेला भारद्वाज
34.	नेतलाल पाल	किसान	नेतलाल पाल
35.	J.L. Pandey	Farmer	[illegible]
36.			
37.	लीलावती	किसान मजदूर	लीलावती
38.	[illegible]	मजदूर	[illegible]
39.	मंजू	मजदूर	मंजू
40.	[illegible]	मजदूर	[illegible]
41.	अमृत लाल	पूर्व बी०डी०सी०	अमृतलाल
42.	चेत नारायण सिंह	ब्लाक प्रमुख [illegible]	Chetsingh
43.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	दीपक दुबे	[illegible]	[illegible]

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
47.	गोपाल जी गुप्ता	थानाध्यक्ष [illegible]	[signature]
48.	[illegible]	[illegible]	[signature]
49.	H.P. [illegible]	[illegible]	[signature]
50.	केशवदेव	ग्राम विकास अधिकारी [illegible]	केशवदेव
51.	[illegible] सिंह		[signature]
52.	चरनसिंह		चरनसिंह
53.	[illegible] सिंह	[signature]	[signature]
54.	गोपाल [illegible]	[signature]	[signature]
55.	[illegible]	[illegible]	[signature]
56.	[illegible]	[illegible]	[signature]
57.	[illegible]	[signature]	[signature]
58.	Vishal Maurya	UPPCB / LA.	[signature]
59.	Ranjeet Kumar	U.P.P.C.B. / [illegible]	[signature]
60.	R.N. SRIVASTAVA	DIRETOR SHANTI GOPAL CONCAST LTD	Narain
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			

क्रमशः 4/पर....